

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon\_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 & Fax (05962) 230397

पत्रांक 2225/12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 31.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:-

आपके द्वारा जनपद- अल्मोड़ा अन्तर्गत कुनीगाड़-हिरूली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार का ऑन-लाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 8986/2014)।

महोदय

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन-लाइन प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी। कृपया कमियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

1. आपके द्वारा प्रेषित ऑन-लाइन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली पंचायती भूमि में सम्बन्धित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जिसे याचक विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

2. प्रपत्र पार्ट-II का अवलोकन करने पर बिन्दु संख्या 16 में Recommendation letter (प्रपत्र) संलग्न नहीं है।

भवदीय,

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।